न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–07/2021 दायर दिनॉंक 24.02.2021

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. मोहनराम पुत्र गणेशाराम 2. देवाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी डिकावा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. बुधाराम पुत्र मानाराम 2. नानुराम पुत्र मानाराम 3. चावली देवी पत्नि बेगाराम समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण डिकावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील प्रार्थी।
2. श्री ईस्लामुदीन वकील अप्रार्थीगण ।

–:: निर्णय ::–

दिनॉंक 08.04.2021

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 169 रकबा 24 बीघा मौजा डीकावा, पटवार हल्का निम्बी कलां, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र निम्बी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है जिसमें हमारी ढाणियां बनी है जहां पर हम परिवार सहित निवास करते है तथा इस खसरे तक पहुंचने हेतु काई रास्ता नही है। जिस हेतु नये रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ता लेना चाहते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:44:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 ता 03 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति व्यक्त कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक रीडर/2021/364 दिनांक 07.04.2021 के अनुसार आवेदक के खेत खसरा सं0 169 रकबा 24 बीघा में जो संयुक्त खातेदारी का खेत है के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक के खेत खसरा सं0 169 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 168 में से लगता है। जिससे ख0 नं0 168 में से होकर रास्ता दिया जाना है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थीगण की सहमति अनुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 169 रकबा 24 बीघा वाकै सरहद डिकावा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/364 दिनाँक 07.04.2021 में दर्शित भूमि खसरा संख्या 168 वाके सरहद डिकावा में से 0.05 बीघा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रभावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/364 दिनाँक 07.04.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:44:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 [illegible] इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner